संख्याः 818 /XVII(4)/2026-5(08)2026(107540)

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2026

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या–912/2026 की पूर्ति/कियान्वयन हेतु ''मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता योजना'' के संचालन हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2099/मु0रा0बा0वी0पुर0–पत्रा/2026 दिनांक 19.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में असाधारण साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार'' योजना के संचालन/क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी राज्य स्तरीय घोषणा संख्या–912/2026 ''देवभूमि उत्तराखण्ड के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से बाल वीरता पुरस्कार दिया जायेगा'' के कियान्वयन हेतु बच्चों में साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना एवं विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने की भावना को प्रोत्साहित किये जाने तथा असाधारण साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित कर अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना'' के संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था/दिशानिर्देश जारी किये जाते हैः–

योजना का नाम– मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना

1- **योजना का नाम** – मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार।

2- **योजना का उद्देश्य–**

1. बच्चों में साहस, आत्मविश्वास, परोपकार एवं मानवीय मूल्यों की भावना को प्रोत्साहित करना।
2. असाधारण साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राज्य स्तर पर सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना।
3. बच्चों द्वारा किये गये अनुकरणीय एवं वीरतापूर्ण कार्यों को समाज के समक्ष प्रेरणादायी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना।

4. संकट, आपदा एवं विपरीत परिस्थितियों में साहसपूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
5. बाल प्रतिभाओं एवं उनके साहसिक कार्यों को उचित पहचान एवं सम्मान प्रदान करना।

3- पात्रता

"मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार" हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की जा रही है:–

1. आवेदक/नामांकित बच्चा उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. वीरता की घटना के समय बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. प्रथम पुरस्कारों के चयन हेतु वीरता/साहस का कार्य आवेदन प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से पूर्व अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर का होना चाहिए।
4. एक ही घटना अथवा एक ही कार्य के लिए एक बच्चे को इस पुरस्कार हेतु एक से अधिक बार पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। किन्तु अन्य पुरस्कारों यथा राष्ट्रीय पुरस्कार अथवा अन्य राज्यों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु बालक/बालिका अर्ह होंगे।
5. किसी घटना में वीर बालक/बालिका की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु उपरान्त यह पुरस्कार परिजनों (माता/पिता/अभिभावक) को प्रदान किया जायेगा।
6. यदि किसी घटना में एक से अधिक बालक/बालिका सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में प्रशस्ति पत्र एवं मेडल/पदक प्रति बालक/बालिका तथा एक पुरस्कार की निर्धारित धनराशि (रू0 51,000/–) सम्मिलित बालक/बालिकाओं के मध्य समान अनुपात में प्रदान की जायेगी।

4- पुरस्कार का स्वरूप

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से एक बच्चे (कुल अधिकतम 13 बच्चे) को "मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार" से सम्मानित करने हेतु निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा:–

- ₹51,000/– (रुपये इक्यावन हजार मात्र) की पुरस्कार राशि **Aadhar Seeded** DBT के माध्यम से।
- प्रशस्ति पत्र।
- मेडल/पदक।

5- आवेदन एवं नामांकन की प्रक्रिया

1. पुरस्कार हेतु आवेदन केवल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जाएंगे।
2. योजना के प्रथम वर्ष में आवेदन/नामांकन प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आगामी वर्षों में आवेदन/नामांकन 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
3. निम्नलिखित द्वारा बालक/बालिका के नाम का प्रस्ताव/नामांकन प्रस्तुत किया जा सकेगा:–
    1. स्वयं बालक/बालिका
    2. संबंधित बालक/बालिका के माता/पिता अथवा अभिभावक

3. संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
4. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी

4. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से आवेदन एवं संलग्न अभिलेखों की प्राथमिक जांच एवं सत्यापन कराया जाएगा।

5. अपूर्ण, ऑफलाईन अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया/SOP तथा ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6- आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख

पुरस्कार हेतु नामंकित बालक/बालिका के संबंध में आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेगें–

1. उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
2. आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र किंतु यदि किसी नामंकित बालक/बालिका का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो संबंधित विद्यालय द्वारा जारी जन्म के संबंध में प्रमाण पत्र/अंकसूची, यदि नामंकित बालक/बालिका कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर चुका है तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जायेगी।
3. वीरता/साहसिक घटना का विस्तृत विवरण, जिसमें घटना की तिथि, स्थान, परिस्थितियां तथा बच्चे द्वारा किये गये साहसिक कार्य का स्पष्ट विवरण हो।
4. घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर अथवा पुलिस रिपोर्ट की प्रति, जहां लागू हो।
5. घटना के संबंध में समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित समाचार की प्रति, यदि उपलब्ध हो।
6. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान/प्रमाण, यदि उपलब्ध हों।
7. घटना के समर्थन में उपलब्ध अन्य प्रासंगिक अभिलेख/दस्तावेज।
8. बालक/बालिका एवं माता–पिता/अभिभावक का पहचान संबंधी अभिलेख–आधार कार्ड ।
9. बालक/बालिका तथा माता–पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाते/अंडरगार्जियनशिप खाते की पासबुक की प्रति।
10– ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित अन्य विवरण/अभिलेख।

7- चयन प्रक्रिया एवं पुरस्कार वितरण

पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) जिला स्तरीय जांच एवं सत्यापनः

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जांच, पात्रता परीक्षण एवं घटना के तथ्यात्मक सत्यापन की कार्यवाही संबंधित जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र एवं उपयुक्त पाए गए प्रकरणों को संस्तुति सहित राज्य स्तरीय चयन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तरीय जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी।

* प्रथम वर्ष 2026 के लिए जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही 20 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी।

(2) राज्य स्तरीय चयनः

जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण एवं मूल्यांकन सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम 13 पात्र बच्चों के नाम पुरस्कार हेतु चयनित/अनुशंसित किये जाएंगे। यह कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी।

(3) अंतिम अनुमोदनः

राज्य स्तरीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चयनित बच्चों के नाम मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) राज्य स्तरीय चयन समिति की संस्तुति एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन के पश्चात चयनित बच्चों के नामों की आधिकारिक घोषणा यथा प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 05 नवंबर तक की जाएगी।

(5) चयनित बच्चों को प्रत्येक वर्ष 09 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड/माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

(6) पुरस्कार वितरण हेतु प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं नकद पुरस्कार राशि की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

8- चयन समितियों का गठन

(क) जिला स्तरीय चयन/स्क्रूटनी समिति

जिला स्तर पर आवेदनों की जांच एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
6	जिला अधिकारी द्वारा नामित जनपद बाल कल्याण समिति के दो प्रतिनिधि।	सदस्य
7	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	सदस्य सचिव

(ख) राज्य स्तरीय चयन समिति

राज्य स्तर पर अंतिम चयन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी–

1	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून अधिकारी	सदस्य

3	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून अधिकारी	सदस्य
4	निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	सदस्य सचिव
5	संयुक्त सचिव/उप सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	निदेशक, म0स0 एवं बा0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशालय स्तर से नामित एक विभागीय अधिकारी	सदस्य

9. वित्तीय व्यवस्था

मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद से एक बच्चे (कुल अधिकतम 13 बच्चे) को ₹51,000/– प्रति बच्चा की दर से पुरस्कार प्रदान किये जाने पर कुल ₹6,63,000/– (रुपये छः लाख तिरसठ हजार मात्र) की वार्षिक पुरस्कार राशि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मैडल/पदक के निर्माण, प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार समारोह तथा योजना के ऑनलाइन पोर्टल के संचालन एवं प्रचार–प्रसार आदि पर होने वाले व्यय की आवश्यकता के अनुसार पृथक से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु वार्षिक व्यय का आंकलन निम्नवत है:–

क्र0 सं0	व्यय का प्रकार	प्रति ईकाई धनराशि	संख्या	कुल धनराशि (वार्षिक रू0 में0)
01	पुरस्कार राशि	51000	13	6,63,000
02	मैडल एवं प्रशस्ति पत्र	10000	13	1,30,000
03	आयोजन की समस्त व्यवस्था (बच्चों एवं अविभावकों हेतु परिवहन आवास एवं भोजन, प्रचार प्रसार फ्लैक्स बैनर आदि की व्यवस्था सहित)	–	–	5,00,000
			कुल योग	12,93,000

उक्त योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के बजट में अनुदान संख्या 15 लेखाशीर्षक 2235–02–102–06–02 के मानक मद 42 से किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित योजना के संचालन की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

भवदीय,

28.09.26

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

संख्याः /XVII(4)/2026-5(08)2026(107540) तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
02 निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
03. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
04. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
06. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
09. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।